केन्द्रीय विद्यालय संगठन से अपनी पूर्व राजकीय सेवाओं की अवधि को वर्तमान सेवा अवधि में सम्मिलित किये जाने की मांग की है ;

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इस संबंध में क्या नियम बनाये हैं ; और

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन विगत की सेवा के आकलन के संबंध में आवश्यक परिवर्तन सहित भारत सरकार के नियमों का अनुसरण करता है ।

(ग) प्रधानाचार्यों से प्राप्त अनुरोधों की जांच की जाती है और उन पर भारत सरकार के नियमों/आदेशों को ध्यान में रख कर निर्णय लिये जाते हैं ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड का पुनर्गठन

2143. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय सगठन के शासी बोर्ड का पुर्नगठन करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) क्या इस बोर्ड में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्यरत प्रतिनिधियों को सहयोजित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय सगठन 1860 के सोसाइटी पजीकरण अधिनियम (इक्ष।) के अधीन एक पजीकृत सोसाइटी है । केन्द्रीय विद्यालय सगठन के सघं के ज्ञापन तथा नियमों में केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा इसके शासी बोर्ड के कर्यचारियों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं है । अब सगठन के कार्यशील संगठनों के प्रतिनिधियों को बोर्ड में सहयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने इस संबंध में मांग की है और संगठन के अध्यक्ष के हुई बैठक में इसके लिये दबाव डाला है ।

केन्द्रीय विद्यालय जोरहाट के बैंक खाते से अवैध रूप से रकम का निकाला जाना

2144. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय, जोरहाट (असम) में एक गणित शिक्षक ने विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को गलत सूचना देकर विद्यालय के बैंक खाते से अवैध ढंग से कुछ राशि निकाल ली थी ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने उक्त शिक्षक के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जोरहाट स्थित केन्द्रीय विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष

ने सिल्चर क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्त के ध्यान में यह तथ्य लाया। सिल्चर के सहायक आयुक्त इस क्षेत्र के अध्यापकों के संबंध में चूंकि सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी हैं, अतः सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"Implementation of Supremc Court Judgement on Pay Scales in Botanical Survey of India"

2145. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Supreme Court had upheld the judgement of the Central Administrative Tribunal dated the 17th March, 1987 granting pay scale of Rs. 550—900 to 'Scientific Assistants' of Botanical Survey of India and whether Government had issued an order on 21st March, 1989, directing the Botanical Surevy of India to implement the said judgement;

(b) whether Government had issued another order on 26th April, 1989 which seeks to restrict the implementation of Court's order;

(c) if so, the reasons therefor and whether such a change goes against the letter and spirit of Court's orders; and

(d) whether Government are reviewing the matter and propose to implement its original order dated 21st March, 1989?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) According the Supreme Court judgement, the Central Administrative Tribunal, Calcutta Bench, was perfectly justified in directing allocation of the revised pay scale of Rs. 550—900 to the *existing Scientific Assistants* of Botanical Survey of India. They, however, made it clear that the appellants may give effect to the recommendations of the Third Pay Commission with regard to future recruitments after framing rules in that regard. The Government of India issued orders on 2-3-1989 to the Director, Botanical Survey of India for implementing the judgement.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

Promotion of Classical Languages

2146. SHRI G. SWAMINATHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have undertaken the promotion of classical languages;

(b) what is the definition of classical language for such promotional support by Government;

(c) whether Tamil is considered as a classical language for this purpose; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) There is no definition of classical language as such. However, as a rule of practice, Government have been giving promotional support to Sanskrit including Pali and Prakrit, Arabic and Persian. Irrespective of the status of the language; Tamil language also is provided with promotional support.

Request for Additional Assistance by Government of Kerala

2147. SHRI THOMAS KUTHIRA VATTOM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state: